

I/178882/2022

संख्या-पी-181/81-2-2022-800(171)/2022

प्रेषक,

आर 0 पी0 सिंह,

अनु सचिव,

30 प्र 0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

30 प्र 0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 जून 2022

विषय- जनपद मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत दाँती ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.5897 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 0.7694 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/152749/2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3525/11-सी-एफपी/यूपी/पाइपलाइन/152749/2022 दिनांक 13.06.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त निम्न कमियां पायी गई हैं :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ-39 के मध्य भाग में 4 इंच व्यास से ऊपर भूमिगत पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित आरक्षित वनभूमि क्षेत्रफल 0.7070 हे० है।
 2. प्रस्ताव के पृष्ठ-39 के मध्य भाग में 4 इंच व्यास से कम भूमिगत पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित आरक्षित वनभूमि क्षेत्रफल 0.0624 हे० है।
 3. कुल 0.7695 हे० आरक्षित वनभूमि का उल्लेख पृष्ठ-40/41 में अंकित विवरण के योग में है, जबकि प्रस्तावानुसार 0.1797 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.5897 हे० आरक्षित वनभूमि प्रस्तावित है, जो त्रुटिपूर्ण/भ्रामक है।
- 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार स्थित स्पष्ट करते हुए त्रुटिरहित प्रस्ताव/प्रमाण पत्र अपनी संस्तुति सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रकरण महत्वपूर्ण प्रकृति का है। अतः शीर्षप्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,

Signed by राम प्रकाश सिंह

Date: 16-06-2022 15:31:08

(आर 0 पी0 सिंह)

Reason: Approved

अनु सचिव।